विषय-सूची

पृष्ठ सं.

- प्राक्कथन (i)
- सदस्य (iii)
- सदस्य सचिव की डेस्क से (vii)
- अपराधिक कानून तथा महिलाएं 1

क. अपराध तथा उनकी सूचना देना 1

ख. अन्य महत्वपूर्ण कानून 6

- बलात्कार 20
- दहेज 32
- घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा अधिनियम, 2005 39
- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 49
- यौन शोषण 55
- बाल विवाह 58
- अप्रवासी भारतीयों के साथ विवाह 62
- लिंग चयन / भ्रूण के लिंग का निर्धारण 68
- भारत में महिलाओं के सम्पत्ति और भरण-पोषण अधिकार 73
- निःशुल्क कानूनी सहायता 82
- श्रम कानून 86
- एचआईवी/एडस के साथ जीवन जी रहे व्यक्तियों (पीडब्ल्यूए) के अधिकार 94
- सूचना का अधिकार 102
- स्वास्थ्य मुददे 108

प्राक्कथन

अपने आधारभूत कानूनी अधिकारों के संबंध में जागरूकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून हर व्यक्ति के दिन-प्रतिदिन के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । तथापि, लोग इसे तब तक समझ पाने में असमर्थ होते हैं जब तक कि उनका किसी अवांछित अथवा स्थिति से सामना न हो ।

यह पुस्तक महिलाओं के मध्य कानूनी जागरूकता का प्रसार करने और साथ ही अन्य संगत मुददों पर जागरूकता उत्पन्न करने का एक विनम्र प्रयास है क्योंकि न केवल वे हमारी जनसंख्या का एक प्रमुख भाग है बल्कि वे प्रत्येक परिवार का आधार भी हैं ।

यह पुस्तक एक केन्द्रीय पात्र"मीरा दीदी" के इर्द-गिर्द घूमती है जोकि पेशे से एक वकील हैं तथा स्वैच्छिक रूप से एक समाज सेविका । इस पात्र को दिखाने के पीछे विचार यह है कि कोई भी महिला थोड़े से प्रयास, जागरूकता तथा पहल के साथ"मीरा दीदी" बन सकती है ।

मैं इस पुस्तक की अवधारणा तैयार करने तथा इसे प्रकाशित करने में सुश्री जी.एम.पदमा प्रिया और दिव्या चतुर्वेदी के प्रयासों तथा श्री योगेश मेहत्ता, विधि अधिकारी द्वारा मुहैया कराए गए आदानों की सराहना करती हूँ । मैं आशा करती हूं कि यह पुस्तक महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक होने तथा सशक्त होने में सहायता करेगी ।

गिरिजा व्यास

अध्यक्षा

सदस्य

सुश्री मालिनी भट्टाचार्य

सदस्य

जाधवपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी की सेवानिवृत्त प्रोफेसर और जाधवपुर विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ वूमेन स्टडीज की सेवानिवृत्त निदेशक, 1989 से 1996 तक लोकसभा की सदस्य रही थी और लोकसभा हेतु अध्यक्ष की पैनल की एक सदस्य थी । वह जन्म-पूर्व नैदानिक परीक्षण जाँच विधेयक पर चयनित समिति की एक सदस्य और साथ ही संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर चयनित समिति की एक सदस्य भी थी । पश्चिम बंगाल राज्य महिला आयोग की एक पूर्व सदस्य, सुश्री भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल राज्य आयोजना बोर्ड और पीएनडीटी अधिनियम पर राज्य की परामर्शी समिति की एक सदस्य तथा पश्चिम बंगाल लोक एवं जनजाति संस्कृति केन्द्र की उपाध्यक्ष भी हैं।

सुश्री यासमीन अबरार

सदस्य

ये राजस्थान के एक सुविख्यात स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री हैं । एक मेधावी छात्र, उनका पालन-पोषण एक राजनैतिक परिवार में हुआ है । 1998-2003 तक राजस्थान की विधान सभा की एक पूर्व सदस्य होने के साथ वह राष्ट्रीय महिला कोष में एक परामर्शदाता भी हैं और पिछले दो दशकों से महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं । सुश्री अबरार का राजस्थान की महिला बाल विकास समिति के सदस्य के रूप में मूल्यवान अनुभव राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य के रूप में प्रभावी रूप से कार्य करने में उनकी सहायता करेगा ।

सुश्री नीवा कंवर

सदस्य

एक पूर्व लेक्चरर, इन्होंने निराश्रित बच्चों तथा कुष्ठ रोगियों हेतु असम सेवा समिति में और असम में महिला इमदाद समिति में एक कार्यपालक सदस्य के रूप में कार्य किया था। भारतीय समाज कल्याण परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष होने के साथ ही, वह इलाहाबाद बैंक की निदेशक तथा एआईएमसी की महासचिव भी रही हैं । उन्होंने यूएसएसआर, सिंगापुर, बीजिंग आदि में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भाग लिया है । सुश्री कंवर ने न्यूजीलैंड तथा आस्ट्रेलिया का अध्ययन दौरा भी किया है । चूंकि वे कई महत्वपूर्ण राजैनितक पदों पर आसीन रही हैं, इसलिए एक प्रशासक और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनका अनुभव राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए काफी मूल्यवान सिद्ध होगा ।

सुश्री निर्मला वैंकटेश

सदस्य

ये कर्नाटक विधायी परिषद की एक पूर्व सदस्य हैं । ये राजनैतिक क्षेत्र तथा कांग्रेस पार्टी में अत्यधिक सक्रिय हैं । एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सुश्री निर्मला पिछले 25 वर्षो से गरीब तथा दबे-कुचले लोगों के लिए कार्य कर रही है । इन्होंने समूचे भारत में काफी भ्रमण किया है । भारत की जमीनी स्तर की महिलाओं के संबंध में सुश्री निर्मला का वास्तविक ज्ञान आयोग में उनके कार्य के दौरान काफी सार्थक सिद्ध होगा ।

सुश्री मंजू स्नेहलता हेमब्रोम

सदस्य

सुश्री मंजू स्नेहलता हेमब्रोम वर्तमान में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष, नक्सलीय हिंसा पर एआईसीसी कार्यबल की सदस्य और राष्ट्रीय महिला संस्थान (झारखंड इकाई) की अध्यक्ष हैं और इन्होंने आयोग में सदस्य के रूप में 30 जून, 2006 को कार्यभार ग्रहण किया था।

एक राजनैतिक परिवार से सम्बद्ध होने वाली सुश्री हेमब्रोम पिछले कई दशकों से महिलाओं, विशेषकर जनजातियों, की प्रगति तथा उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं। प्रशासन तथा समाज कल्याण कार्य में अपने अनुभव के साथ वह राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए मूल्यवान सिद्ध होंगी।

सदस्य सचिव की डेस्क से

भारतीय संविधान में समानता की अवधारणा को सुस्पष्ट रूप से प्रतिष्ठापित किया गया है और यह लिंग के आधार पर विभेद को प्रतिबंधित करता है । अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता की घोषणा करता है और अनुच्छेद 15 न केवल विभेद की निन्दा करता है बल्कि महिलाओं के साथ अनुकूल व्यवहार करने की भी अनुमति देता है। भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रति विशेष अनुकम्पा दर्शायी है और यह उन्हें अनारक्षित समान दर्जा देता है तथा दोनों लिंगों हेतु समान अवसरों की गारंटी प्रदान करता है।

यद्यपि हमारे देश में महिलाएं स्वतंत्रता सेनानी, नेता, नौकरशाह, खिलाड़ी, कलाकार, लेखक, अधिवक्ता आदि जैसे कई क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त की है फिर भी कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है।

इस प्रकाशन के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रयास हमारे समाज के ऐसे भागों तक पहुंचना तथा उन्हें सशक्त बनाना और कानूनी जागरूकता शिविर तथा अन्य तंत्रों के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण देने तथा जागरूकता उत्पन्न करने का है।

एस.चटर्जी